टी0ए0 मिस केस सं0 321/2019-20

दिनांक	आदेश
05-03-2020	अभिलेख उपस्थापित। आवेदिका **वोंडा देवगम**, **पिता–स्व० लादुरा देवगम**, ग्राम–**मतकमहातु**, थाना–**मुफ्फसिल**, जिला–पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा–**मतकमहातु**, थाना नं०–**642**, खाता नं०–22, प्लॉट नं०–1455, **रकवा-0.07½** एकड़ भूमि क्रेता **अमर सिंह चातार, पिता–जयराम चातार**, ग्राम–**गितिलपी**, थाना–**मुफ्फसिल** के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।
	अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदिका के पिता के नाम पर हालसर्वे खतियान में दर्ज है। आवेदिका का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।
	अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक–202,दिनांक–03.03.2020 के द्वारा प्राप्त है एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मकान निर्माण एवं खर्च हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू–खण्ड को क्रेता–**अमर सिंह चातार, पिता–जयराम चातार**, ग्राम–**गितिलपी**, थाना–**मुफ्फसिल** के पास **8,00,000.00/–(आठ लाख) रूपये** में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों थाना **मुफ्फसिल** के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है।
	उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 2.60 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू–सम्पति प्रर्याप्त है।
	अतः संबंधित राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक/अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में आवेदिका **वोंडा देवगम, पिता–स्व० लादुरा देवगम**, ग्राम–**मतकमहातु**, थाना–**मुफ्फसिल**, जिला–पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा, क्रेता **अमर सिंह चातार, पिता–जयराम चातार**, ग्राम–**गितिलपी**, के पास जमीन को कुल **8,00,000.00/–(आठ लाख) रूपये** में मौजा–**मतकमहातु**, थाना नं०–**642**, खाता नं०–22, प्लॉट नं०–1455, **रकवा-0.07½ एकड़** जमीन बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की अनुमति दी जाती है।
	लेखापित (हस्ताक्षर) भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा। (हस्ताक्षर) 05/03/2020 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा।

Scanned with CamScanner